उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या:12/1628/60-1-2018

दिनांक : लखनऊ : 27 जुलाई, 2018

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-3453/63-1-16-1/13(69)/04, दिनांक 14-12-2018 द्वारा बाल कल्याण समिति का गठन कर श्रीमती आशा देवी राठौर को बाल कल्याण समिति, कासगंज के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज ने पत्र संख्या-510-11 दिनांक 28 जून, 2018 द्वारा श्रीमती आशा देवी राठौर, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, कासगंज का कार्य संतोषजनक न होने तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के दृष्टिगत सेवायें समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के आख्या के आधार पर निम्नलिखित तथ्य सही पाये गयेः-

1. श्रीमती आशा देवी राठौर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह जनपद कासगंज की स्थायी निवासी न होकर जनपद बदायूँ की स्थायी निवासी हैं, जिनका स्थायी पता नजदीक रेलवे स्टेशन, सिविल लाईन्स, बदायूँ -243601 है।
2. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा निर्गत सार्वजनिक विज्ञापन में बाल कल्याण समिति की अर्हताओं का विस्तृत उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य बनने के लिए आवेदक को आवेदित जनपद का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, परन्तु श्रीमती आशा देवी राठौर जनपद कासगज की स्थायी निवासी न होकर जनपद बदायूँ की स्थायी निवासी होने के कारण बाल कल्याण समिति, कासगंज में अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु योग्य नहीं हैं। इसकी पुष्टि श्रीमती आशा देवी राठौर के आधार कार्ड एवं पहचान पत्र एवं बैंक पासबुक से होती है।
3. श्रीमती आशा देवी राठौर, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, कासगंज कार्यालय में भी निर्धारित समयानुसार ड्यिटी का निर्वहन नहीं करती हैं, जिसकी पुष्टि माह फरवरी, मार्च, अप्रैल एवं मई, 2018 की बायोमैट्रिक मशीन से प्राप्त उपस्थित से होती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. श्रीमती आशा देवी राठौर का बाल कल्याण समिति में कार्य भी संतोषजनक नहीं है। दिनांक 17-05-2018 को श्रीमती आशा देवी राठौर समिति के अन्य सदस्यों के साथ जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज को सूचित किये बिना कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय, फरौली, कासगंज में निरीक्षण हेतु गयीं तथा विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया गया। बिना किसी जांच के ही निष्कर्ष पर पहुंचते हुये वार्डन पर निराधार आरोप लगाये तथा समाचार पत्रों में भी उक्त का प्रकाशन कराया गया।
5. श्रीमती आशा देवी राठौर समिति के अन्य सदस्यों के साथ दिनांक 10-05-2018 को स्वैच्छिक संगठन समाज सुधार समिति द्वारा संचालित बाल गृह (बालक) नगला चीटा कासगंज में निरीक्षण हेतु गयीं। निरीक्षण के समय श्रीमती राठौर के सथ 06 शस्त्र एवं वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी थे। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत बाल गृह में पुलिस को शस्त्र के साथ एवं पुलिस की वर्दी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, परन्तु श्रीमती आशा देवी राठौर, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, कासगंज द्वारा महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। निरीक्षण के समय फोटोग्राफी भी करायी गयी, जो नियम विरूद्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली-2016 में प्रदत्त व्यवस्था के उल्लंघन किया गया तथा जनपद बदायूँ की निवासी होने के उपरान्त जनपद कासगंज में बाल कल्याण समिति हेतु आवेदन किया गया, जो कि नियम विरूद्ध है। उपरोक्त के दृष्टिगत श्रीमती आशा देवी राठौर की अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, कासगंज के पद पर की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:12/2018/1628(1)/60-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

3- जिला परिवीक्षा अधिकारी, कासगंज।

4- श्रीमती आशा देवी राठौर, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, कासगंज द्वारा- जिला परिवीक्षा अधिकारी, कासगंज।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।